



230



समस्त श्रीमान् ~~...~~ मन्त्री ~~...~~   
 = = = = ~~...~~   
 1107-2619-246

- ११११ भगवान सिंह वत्स टेक सींग लोधी उम्र - 50 साल
- ११२१ दुर्ग सिंह वत्स टेक सींग लोधी उम्र - 48 साल मो. 9589708154
- ११३१ प्रहलाद सिंह वत्स टेकसींग लोधी उम्र - 44 साल
- ११४१ भानू प्रताप सिंह वत्स टेक सींग लोधी उम्र - 42 साल
- ११५१ भूपेन्द्र सिंह वत्स टेकसींग लोधी उम्र - 40 वर्ष मो. 7869616861
- ११६१ खिलान सिंह वत्स टेकसींग लोधी उम्र - 46 वर्ष

साकिन- सागोरिया थाना तेजगढ़ जिला दमोह म०प्र०  
--- अभी लार्थीगण

॥ बनस ॥

=====

श्रीमति त्रिकेणी बाई पति केन्द्र सिंह लोधी उम्र-60 वर्ष  
साकिन- सागोरिया थाना देवरी जमादार थाना तेजगढ़  
जिला दमोह म०प्र०  
--- प्रति अभी लार्थी

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र. कृ.रा.संहिता

अभी लार्थीगण की ओर से निम्न प्रार्थना है:-

1- यहकि, अभी लार्थी द्वारा यह अभी ल राजस्व निरीक्षक मण्डल अमाना तह० दमोह के आदेश अनुसार हत्का पटवारी द्वारा प्रति अभी लार्थी की भूमि का गलत सीमांकन करने से दुखित होकर यह अभी ल प्रेश की गयी है ।

2- यहकि, प्रति अभी लार्थी द्वारा अभी भूमि मोजा मउआखेडा पटवारी हत्का नंबर 24/81, के खसरा नंबर 13/1, 17/1, 19, 20, 21, 29, 35, 41, 264, 93, 169, 183, 199, 121, 214, 216, 228, कुल एक वा- 10.24 हेक्टेयर का सीमांकन राजस्व निरीक्षक मण्डल अमाना द्वारा हत्का पटवारी की देखरेखा में

श्रीमान् श्रीमान् श्रीमान्  
जात अंग  
प्रकार  
[Signature]

- 2 -  
न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- निगरानी-2610-एक/2016

जिला-दमोह

भगवान सिंह आदि विरुद्ध श्रीमती त्रिवेणी बाई

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों हस्ताक्षर
07-03-2019	<ol style="list-style-type: none"><li>1. प्रकरण प्रस्तुत ।</li><li>2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । अनावेदक की ओर से श्री रमाकांत बड़ौनियां अभिभाषक उपस्थित ।</li><li>3. यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल तहसील दमोह जिला- दमोह के प्रकरण क्रमांक 4/अ-12/2014-15 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 16-06-2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है ।</li><li>4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरुद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है ।</li><li>5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 06-05-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये ।</li></ol> <p style="text-align: right;">(आर.के. जैन) सदस्य</p>	<p style="text-align: right;">hmv. 11/3/19</p>